Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated.....

सं.सी-42(5)/2011-एमपीलैड्स **27 जुलाई, 2012**

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: <u>एमपीलैड्स दिशानिर्देश - प्राकृतिक आपदा के मामले में प्रभावित जिले द्वारा पुनर्वास कार्य हेतु एमपीलैड्स निधि के उपयोग के लिए मंत्रालय को सीधे ही उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना</u>

महोदय/महोदया,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 23.11.2011 के समसंख्यक सुधार परिपत्र सं.12 का अवलोकन करें जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रावधानों में कुछ संशोधन करने से संबंधित है ।

2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों में किए गए पुनर्वास कार्य के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग करने हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने से संबंधित मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है । यह पाया गया है कि आपदा प्रभावित जिले अपने जिलों में पुनर्वास कार्य समाप्त होने तक उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने की स्थिति में नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरूप सांसद की एमपीलैड्स निधि की आगामी किस्त एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 में क्रमश: 2.5 करोड़ रुपए तथा 1 करोड़ रुपए की असंस्वीकृत एवं अव्ययित न्यूनतम शेष राशि के प्रावधान के कारण जारी नहीं की जा सकती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि "प्राकृतिक आपदा" तथा "गंभीर प्रकृति की आपदा" से संबंधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 तथा 2.8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:-

"2.7 प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाएं: बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना एवं कीट-हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं की संभावना वाले अथवा उनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी एमपीलैड्स कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है । उक्त राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रु. प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । संबंधित सांसद की निधियां नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । प्रभावित क्षेत्र के जिला प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स निधियों को दिशानिर्देशों में अनुमेय कार्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है ।

"नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है । ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी । एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र / लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र / समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।"

2.8 देश के किसी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा" की स्थिति में, कोई सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है । यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपदा गंभीर प्रकृति की है अथवा नहीं । इस संबंध में निधियां संबंधित सांसद के नोडल जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी ताकि अनुमेय कार्य करवाए जा सकें ।

"नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है । ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी । एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र / लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र / समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।"

3. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के. चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
5. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।